

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 26.05.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—32 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

09 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार ने 02, थाना परसपुर ने 03 व थाना मोतीगंज ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामशब्द पुत्र स्व० राम प्रसाद नि० केवलपुरा मौजा पेडारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—98/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. धर्म सिंह पुत्र सूर्यलाल सिंह नि० लौखड़ियागंज भिखारीपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 179/22, धारा 60 आबारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. निरहू पुत्र घिराऊ नि० ग्राम जमुनहा गैलनग्रन्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद मु०अ०सं०—163/22, धारा 60 आबारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.05.2022

थाना नवाबगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त परमानन्द को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. परमानन्द पुत्र रामगुदुन यादव नि0 ग्राम महरानीपुरवा मौजा कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—199/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 रवीन्द्र कुमार रमन मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.05.2022

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त दीपक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 46 अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. दीपक श्रीवास्तव पुत्र शिव विलास श्रीवास्तव नि० लौव्या टेपरा थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-347/22, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. अल्प्राजोलम की 46 टेबलेट।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० भानू प्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.05.2022

ऑपरेशन मुस्कान के तहत 01 घण्टे के अन्दर 03 गुमशुदा बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को किया सुपुर्द, अपनों से मिलकर बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत अभियान चलाकर गुमशुदा लड़के/लड़कियों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। उक्त निर्देश के क्रम में गुमशुदा बच्चों को थाना को० नगर पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया।

आज दिनांक 26.05.2022 को श्रीमती रत्ना पाण्डेय पत्नी भवानी प्रसाद पाण्डेय नि० बेलहरी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा हालपता इन्द्रानगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा द्वारा डॉयल-112 में सूचना दी गयी की उनके तीन बच्चे बैट्री रिक्शा पर बैठकर कहीं चले गए हैं। इस सूचना पर उ०नि० जितेन्द्र कुमार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 घण्टे के अन्दर बच्चों को झंझरी ब्लॉक के पास से सकुशल बरामद उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। अपनों से मिलकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी तथा परिजनो ने गोण्डा पुलिस को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। उक्त सराहनीय कार्य की आम जनमानस में भी काफी सराहना की जा रही है।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.05.2022

थाना वजीरगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त विष्णु प्रताप उर्फ बच्चाहे बाबा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. विष्णु प्रताप उर्फ बच्चाहे बाबा पुत्र स्व० लालता प्रसाद गोस्वामी नि० ढोडियापारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-135/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० शिवलखन सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 26.05.2022

महिला को खरीदकर मर्जी के बगैर शादी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों एवं प्रभारी एएचटीयू को दिए थे ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना एएचटीयू व थाना कटराबाजार की संयुक्त टीम द्वारा महिला को खरीदकर मर्जी के बगैर शादी करने के आरोपी अभियुक्त रानू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने महिला को 35 हजार में खरीदकर मर्जी के बगैर शादी की थी। लड़की को बेचने वाले अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना एएचटीयू पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रानू पुत्र दददो नि० ग्राम गौरा सिंहनापुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-79/22, धारा 363,366,370 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम—

01. उ०नि० आनन्द प्रकाश मिश्रा मय टीम।
02. उ०नि० देवेन्द्र प्रसाद तिवारी थाना एएचटीयू मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.05.2021

गैरइरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने गैर इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त जयराम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर वादी कल्लू राम यादव पुत्र स्व० रामअचल यादव ग्राम दौलतपुर माफी थाना छपिया जनपद गोण्डा व उसकी पत्नी को गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा था। जिससे वादी की पत्नी की अस्पताल जाने समय मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. जयराम पुत्र सुकई नि० दौलतपुर माफी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-145/22, धारा 323,304,504,506 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० अरुण कुमार गौतम मय टीम।